



2026:AHC:7392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43651 / 2025

रणजीत यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अमित कुमार यादव, करुणेश प्रताप सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति, अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री करुणेश प्रताप सिंह के प्राधिकरण के अंतर्गत श्री आनंद विबोर सिंह तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री याज्ञवल्क पांडेय को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक रणजीत यादव की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण अपराध संख्या 0232 सन् 2025, धारा 2(ख)(1)(xi)(xxv), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में झूठा फँसाया गया है। उसके विरुद्ध दर्शाए गए 10 आपराधिक मामलों का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

यह भी कहा गया कि आवेदक न तो किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक है और न ही उसने अधिनियम की धारा 2(ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में सहयोग या उकसावा दिया है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 03.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है और उसने आश्वासन दिया है कि जमानत मिलने पर वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में मामलों की अधिकता के कारण विचारण शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत का विरोध किया, किंतु आवेदक के विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा बताए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं कर सके।

समस्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, न्यायालय यह पाता है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि आवेदक **रणजीत यादव** को उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित या भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) वाद का उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण, तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के समय।

(iv) आवेदक यह प्रत्याभूति देगा कि जब साक्ष्य हेतु तिथि नियत हो और साक्षी उपस्थित हों, तब वह स्थगन की मांग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं लिया जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा और इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 12 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश